	(12)
	or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay sclae extended based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) 1. Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting (dealing with Song and Drama Division). —Chairman 2. Additional Director General, All India Radio —Member 3. Additional Director General, Doordarshan —Member	Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

[F. No. 1/2(4)/2010-FS]

A. K. BISWAS, Desk Officer

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2010

सा.का.नि. 126.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डाक विभाग (निदेशक, मोटर वाहन) भर्ती नियम 1986 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, संचार मंत्रालय में डाक सेवा बोर्ड के अधीन निदेशक (मोटर यान) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग (निदेशक, मोटर यान) भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
निदेशक (मोटर यान)	1* (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-4, वेतनमान 37400-67000 रु. + 8700 रु. ग्रेड वेतन	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि; यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।
(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति** वेतनबैंड 3; 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु. में ऐसे ज्येष्ठ प्रबंधक जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है जिसके

(11)	(12)
	अंतर्गत वेतन बैंड 3 + ग्रेड वेतन 7600/- रु. में ज्येष्ठ प्रबंधक के रूप में की गई सेवा भी सम्मिलित है । **टिप्पणी 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पणी 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी, द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. सदस्य (कार्मिक) —सदस्य 3. सदस्य (प्रौद्योगिकी) —सदस्य 4. उप महानिदेशक (कार्मिक) —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. 6-1/2009-एसपीजी]

बी. पी. पंत, सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Posts)

New Delhi, the 5th August, 2010

G. S. R. 126.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Posts (Director, Motor Vehicles) Recruitment Rules, 1986, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director (Motor Vehicles) under the Postal Services Board, Ministry of Communications, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Posts (Director, Motor Vehicles) Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of post, its classification and scale of pa attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to the recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit of direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Director (Motor Vehicle)	01* (2010) *Subject to variation depending on work load	General Central Service (Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-4 of Rs. 37400-67000 and Grade Pay of Rs. 8700	Selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for Direct Recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion /deputation/ absorption to be made
(11)	(12)
Promotion	**Promotion** Senior Managers in PB-3 of Rs. 15600-39100 and grade pay of Rs. 6600 with ten years regular service in the grade

	(12)
	including service rendered as Senior Manager (NFSG) PB-3 and grade pay Rs. 7600. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility of two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st day of January 2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of Pay Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'A' DPC (for considering promotion) 1. Chairman/Member UPSC —Chairman 2. Member(P) —Member 3. Member(Tech.) —Member 4. Deputy Director General(P) —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 6-1/2009-SPG]

B. P. PANT, Asstt. Director General (SGP)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 127.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जन शिक्षण संस्थान (निदेशक) भर्ती नियम, 2007 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जन शिक्षण संस्थान (निदेशक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. जन शिक्षण संस्थान (निदेशक) भर्ती नियम, 2007 की अनुसूची के स्तंभ 10 की, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"1 (एक) वर्ष" ।

[फा. सं. 36-07/2005-एई.6/1]

के. सी. मीना, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 15 दिसम्बर, 2007, में सा.का.नि. सं. 278 तारीख 15 नवंबर, 2007 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।